

प्रेषक:-

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
बरेली मण्डल बरेली।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक:

सी0बी0एस0ई0 / /2024-25 दिनांक: 02/09/2024

विषय:-

दिल्ली पब्लिक स्कूल, पीलीभीत ग्राम-टाह, न्यू खटीमा बाईपास, पीलीभीत को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र सं०: सी0बी0एस0ई0/5288-94 /2024-25 दिनांक: 30.08.2024 के द्वारा मण्डल स्तर पर गठित समिति के निर्णय दिनांक: 22.07.2024 के क्रम में दिल्ली पब्लिक स्कूल, टाह, न्यू खटीमा बाईपास, पीलीभीत को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया था।

प्रकरण विषयक प्रबन्धक, दिल्ली पब्लिक स्कूल, पीलीभीत के पत्र दिनांक: 31.08.2024 के तारतम्य में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक 30.08.2024 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने के आदेश निर्गत किए जाते हैं।

“मण्डल स्तर पर गठित समिति के निर्णय “दिनांक 22.07.2024” के स्थान पर “दिनांक 28.08.2024” तथा “दिल्ली पब्लिक स्कूल, टाह, न्यू खटीमा बाईपास, पीलीभीत” के स्थान पर “दिल्ली पब्लिक स्कूल, पीलीभीत ग्राम टाह, न्यू खटीमा बाईपास, पीलीभीत” पढा जाए। शेष यथावत रहेगा।

भवदीय,

(राकेश कुमार)

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल बरेली।

पृ०सं०: सी0बी0एस0ई0 / 5363-69 /2024-25 तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
- 2- शिक्षा निदेशक(मा०), उ०प्र० लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, पीलीभीत।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत।
- 5- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, पीलीभीत ग्राम टाह, न्यू खटीमा बाईपास, पीलीभीत।
- 6- निरीक्षक, आंग्ल भाषा, भारतीय विद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।

Authorised Signatory


Delhi Public School Pilibhit

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली।

प्रेषक:-

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
बरेली मण्डल बरेली।

सेवा मे,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक:

सी0बी0एस0ई0/

/2024-25 दिनांक: 30/08/2024

विषय:-

दिल्ली पब्लिक स्कूल, टाह, न्यू खटीमा बाईपास, पीलीभीत को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि "शासनादेश सं0: शिक्षा अनुभाग-7, 1916/15-7-2009-1(290)/2007 दिनांक: 14 जुलाई, 2009 के संदर्भ में मण्डल स्तर पर गठित समिति के निर्णय दिनांक: 22.07.2024 के क्रम में दिल्ली पब्लिक स्कूल, टाह, न्यू खटीमा बाईपास, पीलीभीत को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 01- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 02- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 03- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी छात्र/छात्राओं के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 04- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकजामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 05- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 06- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
- 07- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उसका पालन करेगी।
- 08- विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 09- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों के साथ ही निम्न शर्तों का अनुपालन भी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

क- संस्था प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र दिनांक 14.08.2024 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

ख- वेदान्ता एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा धारित भूमि गाटा सं0 94 के विवादित क्षेत्रफल 0.405 हे0 के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित निर्णय संस्था को मान्य होगा। साथ ही उसका कियान्वयन/अनुपालन संस्था द्वारा तत्समय सुनिश्चित किया जाएगा।

ग- शासन/विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जाएंगे, वे संस्था/विद्यालय को मान्य होंगे।

घ- विवादित भूमि पर कोई नवीन निर्माण नहीं कराया जाएगा। यदि संस्था द्वारा कोई निर्माण किया जाता है तो निर्देशानुसार संस्था द्वारा उसे हटाया जाना बाध्यकारी होगा।

उक्त का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा साथ ही शासन/विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जाएंगे, संस्था/विद्यालय उसका अनुपालन करेगी, यदि उक्त प्रतिबन्धों एवं आदेशों के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता पाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(राकेश कुमार)

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल बरेली।

पृ0सं0: सी0बी0एस0ई/ 5288-94/2024-25 तददिनोंक
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
- 2- शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, पीलीभीत।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत।
- 5- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, टाह, न्यू खटीमा बाईपास, पीलीभीत।
- 6- निरीक्षक, आंग्ल भाषा, भारतीय विद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

संयुक्त शिक्षा निदेशक
बरेली मण्डल, बरेली।

Authorised Signatory

Delhi Public School Pilibhit